

राजस्व लोक अदालत
 नाम आपके द्वार कम्प (कोर्ट) 2018
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018 / केस कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)
 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / ११ / 2018

दायर दि० १/५/१८
 फैसल दि० १/५/१८

श्री कमलेश
पिता अपनी परेल
 (वादी)

अनवान
 बनाम भूमि-धारी तहसीलदार
सागवाडा
 (प्रतिवादी)

वादी श्री कमलेश ने वाद प्रस्तुत कर
 मोजा कोबी के खाता नम्बर 370 जमाबन्दी सं० १२१-२०७५
 में अंकित स्वयं/पिता का नाम कालीया
 गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
 । प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
 रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम
कमलेश है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम कालीया
 दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
 प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम कमलेश
 होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
 पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
 स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोर्ट को आदेश दिया
 जाता है कि मोजा कोबी की जमाबन्दी संवत् २०७१-७५ के
 खाता संख्या 370 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम
कालीया में संशोधन कर सही नाम
कमलेश दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
 निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फौसल शुमार
 हो नम्बर से कम हो ।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 सागवाडा